## पावर ग्रिड कोर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Power Grid Corporation of India Limited



सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गृहगांव, हरियाणा-122007



Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

PGCIL/R/T/22/00005

दिनांक: 15 February, 2022

**Shri Gaurav Pandey** 

E-19/14, Swami Shardhanand Park, Bhalswa Dairy, Delhi-110042

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 17 January, 2022 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-। मे संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

## श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा। ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

15/02/2

ए. जगन्नाथ राव )

वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: cpio@powergrid.in

## Sub: Reply to RTI Request of Shri Gaurav Pandey, Swami Shardhanand Park, Bhalswa Dairy, Delhi

Information sought:		Reply:
The following information may please be provided under RTI Act 2005:		
1.	What was the additional financial implication for 2020-21 on account of allowing Travelling Allowance at double the normal rate to physically disabled employees in executive cadre of CPSEs/PSUs under Ministry of Power?	Nil
2.	What is the overall percentage of perks/allowances under cafeteria approach a disabled employee is executive cadre is entitled?	Perks and Allowances @ 35 % of Basic Pay per month, is payable to all employees.
3.	Whether the aforementioned Special Travelling Allowance is tax exempted for TDS calculation by the CPSE/PSU?	Not Applicable

\*\*\*\*

37/21371